Office of the Comptroller & Auditor General of India
New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not to be quoted or published elsewhere)

Circular No. 18 - Staff (App 1)/2016
No.895 - Staff (App 1)/14-2013
Dated 19. 05.2016

To

1. All Heads of Department in the IA&AD
2. Pr Director (Exam)
3. Director General (Commercial)
3. Director (P)

Subject: **Recruitment Rules for the posts of Staff Car Driver Ordinary Grade, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Grade I.**

Sir/Madam,

I am to forward a copy of Recruitment Rules for the posts of Staff Car Driver Ordinary Grade, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Ordinary Grade I, notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 57 dated 31.03.2016. for appropriate action.

2. These rules have been notified in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Staff Car Driver and Despatch Rider) Recruitment Rules 1988, in so far they relate to the posts of Staff Car Driver, Ordinary Grade, Staff Car Driver, Grade II and Staff Car, Driver Grade I.

3. The receipt of this circular may be acknowledged

Yours faithfully,

19/5/16

(Ranjit Singh)
Assistant Comptroller & Auditor General (N)

316

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

सा.का.नि. 57—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, (स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा) भर्ती नियम, 1988 को जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) और स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रिय कार्यालयों में स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) और स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) और स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग मे नियोजित व्यक्तियों को लागू होने के रूप में जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों/ की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	46* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नही होता	**18 से 25 वर्ष*** **(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)** **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है) * यदि सीधी भर्ती "सीधी खुली प्रतियोगीता परीक्षा" द्वारा की जाती है हो तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- i. मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; ii. मोटर यांत्रिकी का ज्ञान अभ्यर्थी को यान में छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए। iii. कम से कम तीन वर्ष के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव हो; और iv. दसवीं स्तर में उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों या पुन: नियोजित के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:- प्रतिनियुक्ति/पुन: नियोजन

314

वांछनीय:- होम गार्ड /सिविल स्वयंसेवक के तीन वर्ष की सेवा **टिप्पण -** अनुभव संबधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सम्बंधित प्रादेशिक कार्यालय जिनमें स्टाफ कार (साधारण श्रेणी) का पद भरा जाना है में वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे नियमित सवारहरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारी में से, जिनके पास मोटर कार चालन की क्षमता की पहुँच के चालन परिक्षण के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, जिसके न हो सकने पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अन्य कार्यालयों या केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में जो नियमित आधार पर सवारहरकारा या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी का पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हता को पूरा करते हैं। **सशस्त्र बल कर्मियों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिज़र्व में स्थानांतरित किये जाने वाले है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकर या उप निदेशक या प्रशासन समूह का भारसाधक समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी 2. दूसरा ज्येष्ठ उप महालेखाकर या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अन्य कार्यालय से)।	लागू नहीं होता।

3. एक ज्येष्ठ लेखाअधिकारी या ज्येष्ठ लेखपरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी टिप्पण :- उपरोक्त क्रम संख्यांक 1 और 2 पर जो भी अधिकारी ज्येष्ठतम होगा वह अध्यक्ष होगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	46* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति

(11)
प्रोन्नति :- ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सहायक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (एन) –अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार की पंक्ति का कोई अधिकारी या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी - सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की पंक्ति का कोई अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	54* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

312

(11)

प्रोन्नति :-

ऐसे स्टाफ कार चालक, श्रेणी-II जिन्होंने वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु. की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. सहायक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (एन) – अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार की पंक्ति का कोई अधिकारी या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी - सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की पंक्ति का कोई अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/5/88-ई.जी (खण्ड-II)]

निर्मला देव, उप सचिव (ई.जी.)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)

New Delhi, the 31st March, 2016

G.S.R. 57.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Staff Car Driver and Despatch Rider) Recruitment Rules 1988, in so far as they relate to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Grade –I), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Grade I), namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department [Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Grade I)] Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale**.- The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the annexed Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**.- No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Comptroller and Auditor-General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.-Where the Comptroller and Auditor-General of India is of opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scal	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	(8)	(9)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	46* (2016) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 1900	Not-applicable	18-25 years*. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba	**Essential:** (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10th standard. **Desirable:** Three years service as Home Guard/Civil Volunteers **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed.

320

					District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) * If the direct recruitment is to be made by 'Direct Open Competitive Examination', the age limit would be 18-27 years.	Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption, failing which by direct recruitment. **For Armed Forces Personnel:** Deputation/re-employment	**Deputation/Absorption:** From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' Staff in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs.1800 in the concerned field office of the Indian Audit and Accounts Department, in which the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) is to be filled up, who possess valid driving license for Motor Cars on the basis of driving test to assess the competence to drive Motor Cars, failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 Grade Pay, Rs.1800 in other offices of the Indian Audit and Accounts Department or Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualification as mentioned in column (7). **Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	Group C Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank in-charge of administration group. 2. Another Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from any other office of the Indian Audit and Accounts Department). 3. A Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an officer of equivalent rank. **Note: -** The senior amongst the officers at serial numbers 1 and 2 above shall be the Chairperson.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	(8)	(9)
2. Staff Car Driver Grade II	46* (2016) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Band 1 Rs 5200-20200 Grade Pay Rs. 1900 with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test specified by the Government	**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :** 1. Assistant Comptroller and Auditor General (N) – Chairperson. 2. An officer of the rank of Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank - Member. 3. An officer of the rank of Senior Administrative Officer or Administrative Officer or an officer of equivalent rank - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	(8)	(9)
3. Staff Car Driver Grade I	54* (2016) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted. Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2800	Non-Selection	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion	**Promotion:** Staff Car Drivers Grade-II in Pay Band 1 Rs 5200-20200 Grade Pay Rs 2400 with six years regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in the Staff Car Driver Grade- II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :** 1. Assistant Comptroller and Auditor General (N) – Chairperson. 2. An officer of the rank of Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank -Member. 3. An officer of the rank of Senior Administrative Officer or Administrative Officer or an officer of equivalent rank - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/5/88-EG (Vol-II)]

NIRMALA DEV, Dy. Secy. (EG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.